


फार्म

अचल संपत्ति विवरण का वर्ष 2016
प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 1994



1 कर्मचारी का पूरा नाम:- दिनेश कुमार ठाकुर
2 वर्तमान धारित पद:- सहायक अभियंता (सिविल)
3 कार्यालय का नाम:- कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा-निर्माण) संभाग-2, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड भोपाल।
4 वर्तमान वेतन:- 45820/- (मूल) + (बेड पे)
5 शायिक निधि क्रमांक:- 22365406
6 कर्मचारी संख्या 83344265

| उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा श्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है। | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया अथवा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---------------------------|----------------------|----------------|---|---|-----------------------|-----------|
| | गृह तथा अन्य श्राम | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| सागर, राजखेड़ी, मकरोनिया (म.प्र.) | - | 1500 वर्ग फीट प्लॉट। | ₹. 8,00,000/- | स्वयं के नाम पर | 1994 श्रीमति उमा सक्सेना W/o श्री अवधेश सक्सेना, राजखेड़ी मकरोनिया, सागर। | निरंक | निरंक |
| ग्लोबल पार्क सिटी, म.नं. 102, कटार हिबल, भोपाल (म.प्र.) | डुप्लेक्स म.नं. 102, | 828 वर्ग फीट प्लॉट। | ₹. 36,00,000/- | स्वयं के नाम पर | फरवरी 2011 श्री पी.के.घोष, राजनगर नैनीताल से अरीदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द्वारा ऋण प्राप्त | ₹पये 34659/- | निरंक |
| तिरुपति अभिनव होम्स, मं.नं. सी-140, अयोध्या बाय पास रोड, भोपाल (म.प्र.) | डुप्लेक्स म.नं. सी-140, | 1035 वर्ग फीट प्लॉट। | ₹. 50,00,000/- | स्वयं के नाम पर | मार्च 2015 मेसर्स तिरुपति अभिनव होम्स भोपाल से अरीदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द्वारा ऋण प्राप्त | निरंक | निरंक |

स्थान: भोपाल
दिनांक: 13/12/2016

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए
- ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय
- इसमें तत्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर.....

नाम:- दिनेश कुमार ठाकुर
पद:- सहायक अभियंता (सिविल)
कार्यालय: कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा-निर्माण) संभाग-2, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड भोपाल।

टिप्पणी:- मंडल द्वारा आह्वय म.प्र.शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें स्वात्मिक तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।